अध्याय XV : सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता

15.1 नगरपालिका प्राधिकरण को अधिक भुगतान

सुसंगत अधिनियम की प्रचलित धारा का सत्यापन किए बिना नगरपालिका प्राधिकरण को नगरपालिका राशियों का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹1.47 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, कोलकाता (भा.सां.सं.) सांख्यिकी तथा संबंधित विधाओं में अनुसंधान, शिक्षण तथा उपयोग को समर्पित एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। भा.सां.सं. पूर्णत: भारत सरकार से प्राप्त अनुदानों द्वारा वित्तपोषित होता है।

कोलकाता नगर निगम (को.न.नि.) ने, भा.सां.सं. को उसके दो परिसरों अर्थात 202 बैरकपुर ट्रंक (बै.ट्रं) रोड़ तथा 205, बी.टी. रोड पर जलापूर्ति की। 202, बी.टी रोड परिसरों में आपूर्ति किया गया जल संस्थान तथा शैक्षिक भवनों, प्रशासनिक भवन, अन्य सहायक यूनिटों और निवासीय बहिर्गृहों की आवश्यकता को पूरा करती है जबकि 205, बी.टी. रोड़ परिसर पर आपूर्ति जल निवासीय क्वार्टरों, छात्रावास भवनों, अतिथि गृह तथा चिकित्सा कल्याण इकाई के लिए उपयोग होता है। को.न.नि., भा.सां.सं. परिसरों में पूर्वोक्त दो कनेक्शनों में लगाए गए पानी के मीटरों के अनुसार जल की आपूर्ति हेतु बिल देता है तथा आवाधिक रूप से उस बिल का भुगतान किया जाता है।

को.न.नि. अधिनियम 1980 के अध्याय XXII की धारा 390(2) में भवन को अधिभोग आधार पर वर्गीकृत तथा परिभाषित किया गया है। निवासीय भवनों में सामान्य निवासीय उद्देश्यों हेतु उपलब्ध कराए गए भवन हैं तथा उसमें एक/द्वि/बहु परिवारिय निवास, छात्रावास आदि शामिल होते हैं तथा शैक्षिक

भवनों में, विद्यालय, महाविद्यालय या दिन के समय देखभाल उद्देश्यों हेतु उपयोग किए गए भवन हैं जिसमें उनको अनुदेश, शिक्षा या मनोरंजन हेतु सभा होना शामिल है। आगे यह उल्लेख किया गया है कि अधिभोग के उद्देश्य हेतु अधिभोग पर आर्थिक सहायता, जो इस पर आश्रित है, को शामिल करना माना जाएगा। अत: उन भवनों जिनमें को.न.नि. द्वारा जलापूर्ति की जाती है, को निवासीय तथा शैक्षिक के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाना चाहिए क्योंकि उप सभी भवनों का मुख्य अधिभोग प्रशासनिक भवन जो पुन: इस पर आश्रित था, के अलावा या तो निवासीय उद्देश्यों के लिए थे या शैक्षिक उद्देश्यों के लिए थे। उक्त अधिनियम के **अध्याय XVII** की धारा 238(2) (i) में निर्धारित है कि निवासीय तथा शैक्षिक भवनों को आपूर्ति जल को घरेलू उद्देश्यों हेतु आपूर्ति किए जाने वाला जल समझा जाए।

लेखापरीक्षा ने पाया (फरवरी 2014) कि को.न.नि. ने भा.सां.सं. से घरेलू श्रेणी की बजाए 'औद्योगिक, वाणिज्यिक और सांस्थानिक' श्रेणी के अंतर्गत लागू दरों पर बिल वसूल किये थे। इसके परिणामस्वरूप जनवरी 2004 से अक्तूबर 2013 (उपलब्ध कराए गए रिकार्ड के अनुसार) तक की अवधि के लिए ₹1.47 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। यह भी पाया गया था कि भा.सां.सं. उपभोक्ता के प्रकार के वर्गीकरण के सुधार हेतु कभी भी को.न.नि. के पास नहीं गया था।

भा.सां.सं. ने बताया (दिसम्बर 2014) कि उन्होने श्रेणी में परिवर्तन हेतु तथा अधिक प्रभारित राशि की वापसी हेतु को.न.नि. के साथ मामला उठाया था।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2014 में सूचित किया गया था, उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

15.2 कर्मचारियों को अदेय लाभ

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चिकित्सा बीमा योजना, जिसे अभी प्रशासनिक, मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दिया जाना था, के अपनाने से 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए कर्मचारियों से अंशदान की कटौती न किए जाने के परिणामस्वरूप कर्मचारियों को न्यूनतम ₹57.40 लाख का अदेय लाभ हुआ।

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (छठे के.वे.आ.) ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/ पेंशन भोगियों के लिए निर्धारित अंशदान की वसूली के अधीन स्वैच्छिक आधार पर एक स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की (अगस्त 2008)। वर्ग क, ख और ग कर्मचारियों को वार्षिक प्रीमियम क्रमश: 30 प्रतिशत, 25 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत देना होगा तथा शेष राशि का सरकार भुगतान करेगी। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार, के.वे.आ. की विभाग से संबंधित सिफारिशें वित्त मंत्रालय के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वयन अथवा अन्यथा हेतु तैयार की जाती हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वा.प.क.मं.), केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में बीमा योजना लागू करने वाला प्रशासनिक मंत्रालय है। स्वा.एवं प.क.मं. ने एक समूह स्वास्थ्य बीमा योजना (योजना) बनाई जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना था।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (भा.सां.सं.) अपने स्टाफ को उनके परिसर में स्थित चिकित्सा कल्याण यूनिट के माध्यम से आउटडोर चिकित्सा सुविधाएं दे रहा था। इसके अतिरिक्त, भा.सां.सं. ने सी.एस. (एम.ए.) नियमावली के प्रावधानों के अनुसार इंडोर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई। तथापि, भा.सां.सं. ने छठे के.वे.आ. की सिफारिश के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए सितम्बर 2010 में एक स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया। भा.सां.सं. ने प्रति वर्ष प्रति परिवार ₹चार लाख की राशि के लिए उत्प्लावक[1] आधार पर

[1] एक पॉलिसी जिसमें उसके/उसके परिवार के अतिरिक्त सदस्य कुछ अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान करने पर बीमाकृत सहित कवर किए जाते हैं।

योजना की छानबीन करने के लिए चार लोक क्षेत्र बीमा कम्पनियों के साथ चर्चा की (दिसम्बर 2010)। चार बीमा कम्पनियों से बोलियां आमंत्रित की गई थी तथा ₹1.45 करोड़ के वार्षिक प्रीमियम पर सबसे निम्नतम बोलीकर्ता वाले राष्ट्रीय बीमा कम्पनी लिमिटेड (बीमाकर्ता) के प्रस्ताव का चयन किया गया था। बीमाकर्ता को मार्च 2011 में कार्य आदेश जारी किया गया था तथा वर्ष 2011-12 के लिए ₹1.46 करोड़ के वार्षिक प्रीमियम का भुगतान किया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि भ.सां.सं. ने छठे कें.वे.आ. के अधीन निर्धारित दरों पर अंशदान वसूल नहीं किया था। इसी बीच, वर्ष 2012-13 के लिए ₹1.41 करोड़ राशि का वार्षिक प्रीमियम मार्च 2012 में बीमाकर्ता को और दे दिया था।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, भा.सां.सं. के वर्तमान तथा सेवानिवृत्त कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधाओं से संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक तथ्य निष्कर्ष समिति का गठन किया (मई 2012)। समिति ने सिफारिश की (जुलाई 2012) कि चिकित्सा बीमा योजना का पूर्वव्यापी प्रभाव अर्थात 30.03.2011 से नियमन/कार्यान्वयन करने का प्रस्ताव केन्द्रक मंत्रालयों के परामर्श से प्रशासनिक मंत्रालय को भेजा जाना चाहिए। समिति ने यह भी सिफारिश की कि प्रस्तावों में वार्षिक प्रीमियम का 20 से 30 प्रतिशत की दर या विद्यमान और सेवानिवृत्त कर्मचारियों से के.स.स्वा.यो. अंशदान की कटौती भी शामिल होनी चाहिए।

अभिलेखे की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि भा.सां.सं. ने विद्यमान कर्मचारियों से 31 मार्च 2013 से 20 प्रतिशत की दर पर योजना के प्रति अंशदान की कटौती आरंभ कर दी थी। तथापि, भा.सां.सं. ने, कर्मचारियों से 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए अंशदान वसूल नहीं किया था। योजना के प्रति वसूल न किया गया अंशदान कम से कम[2] ₹57.40 लाख था। इसी बीच 2010-11 तथा

[2] 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान दिए गए ₹1.46 करोड़ तथा ₹1.41 करोड़ का 20 प्रतिशत।

2011-12 के दौरान क्रमश: ₹1.28 करोड़ तथा ₹1.84 करोड़ के बीमा दावे तैयार किए गए थे।

भा.सां.सं. ने बताया (जनवरी 2015) कि वह स्वास्थ्य बीमा योजना लागू होने से पूर्व अपने कर्मचारियों के इंडोर उपचार हेतु सी.एस. (एम.ए.) नियमावली में अंशदान की कटौती करने का कोई प्रावधान नहीं था। उत्तर इस तथ्य कि स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अनुमोदन अभी किया जाना था, छठे कें.वे.आ. की सिफारिश, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कर्मचारियों से निर्धारित दरों पर प्रीमियम की वसूली करना अनुबद्ध था, के अनुसार भा.सां.सं. द्वारा कार्यान्वित की जा रही थी, के प्रतिकूल है। इस प्रकार भा.सां.सं. का यह उत्तर, कि सी.एस. (एम.ए.) नियमावली में कोई प्रावधान न होने के कारण कर्मचारियों से प्रीमियम की वसूली नहीं की गई, सुसंगत नहीं था क्योंकि स्वास्थ्य बीमा योजना सी.एस. (एम.ए.) नियमावली की सीमा में नहीं आती थी।

तथ्य यह रहा कि यद्यपि भा.सां.सं. ने छठे कें.वे.आ. की सिफारिश के अनुसार मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की तथापि वह छठे कें.वे.आ. तथा तथ्य निष्कर्ष समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार कर्मचारियों से भी प्रीमियम राशि वसूल करने में विफल रहा था। मार्च 2013 के बाद से प्रीमियम पर अनुवर्ती कटौतियां छठे कें.वे.आ. के अंतर्गत की गई अनुशंसाओं से अपेक्षाकृत कम थीं। इस प्रकार, भा.सां.सं. द्वारा चिकित्सा बीमा योजना जिसको प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना था, के अपनाने से 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए कर्मचारियों से अंशदान की कटौती नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को न्यूनतम ₹57.40 लाख का अदेय लाभ हुआ।

मामला मंत्रालय को अक्तूबर 2014 में सूचित किया गया था; उनका उत्तर फरवरी 2015 तक प्रतीक्षित था।